सील्ड /रजिस्टर्ड

संख्या-478/2025/1758/22-2-2023-17(562)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 मई, 2025

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपके पास आपकी जेल के निम्नलिखित कैदी का लाइसेन्स भेजूं और आपको यह सूचित करूं कि यू0 पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 (सन् 1938 का एक्ट-8) की धारा-2 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदया इस महिला बन्दी को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन रूल्स के नियम-8 के अनुसार लाइसेन्स के द्वारा मुक्त किये जाने की अनुज्ञा प्रदान करती हैं।

महिला बन्दी का नाम-कृष्णा (बन्दी संख्या-2195)

महिला बन्दी के पति का नाम-श्री अजय प्रताप

निवासी-रसमई, थाना-शादाबाद, जनपद-हाथरस।

2- कृपया इन आदेशों की प्राप्ति स्वीकार करें।

संलग्नकः लाइसेन्स की मूल प्रति।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-478/2025/1758(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
(लाइसेन्स की द्वितीय प्रति के साथ)

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
3- पुलिस अधीक्षक,हाथरस।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

फार्म-घ (डी)

(देखिए नियम -7)

यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अधीन शर्तों पर छोड़े जाने का लाइसेन्स।

यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया, इस पाबन्दी के साथ कि आगे लिखी शर्तों का पालन किया जायेगा, महिला बन्दी कृष्णा, महिला बन्दी के पति का नाम-श्री अजय प्रताप, दिनांक 18.06.2022 तक 71 वर्ष, 10 माह, 15 दिन है और रसमई, थाना-शादाबाद, जनपद-हाथरस की निवासी है, जिसकी बन्दी संख्या-2195 है, जो इस समय नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में बन्द है, महिला बन्दी द्वारा दिनांक 18.06.2022 तक 14 वर्ष, 09 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा 19 वर्ष, 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, को छोड़ने की स्वीकृति और निर्देश देती हैं, उक्त महिला बंदी का अभिभावक महिला बंदी के दामाद नीरज सिंह पुत्र श्री हरिपाल सिंह को नियुक्त किया जाता है, की देखरेख और अधिकार में रखता हैं।

यह लाइसेंस यदि वह पहले ही निरस्त न कर दिया गया हो, तो बन्दी की मृत्यु के पश्चात् समाप्त हो जायेगा।

शर्तें जिनका पालन लाइसेंसदार को करना होगा

1- लाइसेंस की अवधि में लाइसेंसदार उपर्युक्त अभिभावक की देख-रेख और अधिकार में रहेगा। वह उन सभी आदेशों का अनुपालन करेगा, जो अभिभावक उसके निवास स्थान, रोजगार और चाल-चलन के विषय में उसे मौखिक रूप से या लिख कर दें।

2- उसके अभिभावक ने जिन स्थानों की सीमाओं के भीतर रहने का उसे आदेश दिया हो उसके बाहर वह बिना उसकी अनुमति के नहीं जायेगा। वह उस स्थान पर चला जायेगा, जहां जाने का निदेश उसे अभिभावक ने दिया हो और वह उस मार्ग से जायेगा, जिसे उसके अभिभावक ने निर्धारित कर दिया हो।

3- वह उस समय और उन स्थानों पर और उन व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित होगा, जिनके सम्बन्ध में अभिभावक समय-समय पर निदेश करे।

4- वह स्वयं यथोचित परिश्रम से अभिभावक के संतोषानुसार उस काम को करेगा जिसमें लगाने का अभिभावक उसे निर्देश करें।

5- वह कोई ऐसा अपराध न करेगा, जो किसी ऐसे कानून द्वारा दण्डनीय हो, जो भारत में इस समय लागू हो।

6- वह ऐसे व्यक्तियों के साथ किसी भी रूप में मेल न रखेगा, जिनके विषय में यह प्रसिद्ध हो कि वे बदमाश हैं या दुराचारपूर्ण या कुत्सित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

7- यदि राज्य सरकार यह समझे कि उसने उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार सम्बन्धित व्यक्ति को अपना मामला, जिस जिले में वह उस समय रह रहा है, उसके जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख रखने का एक अवसर देने के उपरान्त उसके लाइसेंस का निरसन कर सकती है और यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-4 के उपबन्धों का पालन करते हुए कैद की बाकी सजा भुगतने के लिए उसे फिर से जेल में बन्द किये जाने का निदेश दे सकती है।

8- इस लाइसेंस के निरसन पर उक्त कैदी निरसन के आदेश पत्र में बताई हुई उस तारीख पर या उससे पहले ही जेल में वापस आ जायेगा।

9- अभिभावक की मृत्यु हो जाने की दशा में लाइसेन्सदार उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जहां कि वह रहता है, इस बात की सूचना तुरन्त देगा और यदि सम्भव हो तो मृतक के स्थान पर किसी दूसरे उपयुक्त अभिभावक का नाम प्रस्तावित करेगा और प्रस्तावित अभिभावक के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अभिभावक का कर्तव्य

लाइसेन्स की शर्तो का पालन पूर्ण रूप से कराना अभिभावक का कर्तव्य होगा। वह लाइसेंसदार के चाल-चलन और उसकी भलाई का ध्यान रखेगा और साधारणतया उसके स्थानीय संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। यदि लाइसेंसदार का आचरण खराब पाया जाये तो अभिभावक का कर्तव्य होगा कि इस बात की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट से करें।

यदि इस एक्ट के अधीन लाइसेन्स पर छोड़ा गया कोई कैदी अभिभावक की देख-रेख या अधिकार से निकल भागे या उसका लाइसेंस निरस्त कर दिये जाने पर जेल वापस न लौटे तो अभिभावक तुरन्त उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेंडेन्ट को देगा और निकटतम थाने में रिपोर्ट करेगा और कैदी के विरूद्ध उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी, जिस प्रकार पुलिस के हस्तक्षेप योग्य मामले में की जाती है।

दिनांक: 22 मई, 2025

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।